न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 95/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

मैसर्स एस.बी.एफ.सी. फाईनेन्स लि. जरिये प्राधिकृत अधिकारी **सुरेन्द्र पारीक**
ऑफिसः- यूनिट नं. 103, प्रथम तल, सी एण्ड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अन्धेरी कुर्ला रोड़, अंधेरी ईस्ट मुम्बई-400059
ब्रांच ऑफिसः- फर्स्ट फ्लोर, राजधानी ग्लास के ऊपर, मेट्रो पिलर नं. 63 के सामने, कामाहाउस एण्ड भौमिया जी का मन्दिर, ई.एस.आई.सी. हॉस्पिटल, अजमेर रोड़, सोडाला-305001, राज.

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **विकास चौधरी पुत्र बुधराम चौधरी**
   प्रथम पताः- वार्ड नम्बर 08, कुम्हारों का मोहल्ला, इस्लामिया स्कूल के पास, सीकर, राजस्थान- 332001
   द्वितीय पताः- प्लॉट नम्बर 57, खसरा नम्बर 1156, कुम्हारों का मोहल्ला, पिंक हाउस, वार्ड नं. 07, ग्रामीण, सीकर, राजस्थान- 332001
2. **बुधराम चौधरी पुत्र मूलचन्द चौधरी**
   प्रथम पताः- वार्ड नम्बर 08, कुम्हारों का मोहल्ला, इस्लामिया स्कूल के पास, सीकर, राजस्थान- 332001
   द्वितीय पताः- प्लॉट नम्बर 57, खसरा नम्बर 1156, कुम्हारों का मोहल्ला, पिंक हाउस, वार्ड नं. 07, ग्रामीण, सीकर, राजस्थान- 332001
3. **मीनाक्षी देवी पुत्री लाल चन्द**
   प्रथम पताः- वार्ड नम्बर 08, कुम्हारों का मोहल्ला, इस्लामिया स्कूल के पास, सीकर, राजस्थान- 332001
   द्वितीय पताः- प्लॉट नम्बर 57, खसरा नम्बर 1156, कुम्हारों का मोहल्ला, पिंक हाउस, वार्ड नं. 07, ग्रामीण, सीकर, राजस्थान- 332001
4. **राजीव चौधरी पुत्र बुधराम चौधरी**
   प्रथम पताः- वार्ड नम्बर 08, कुम्हारों का मोहल्ला, इस्लामिया स्कूल के पास, सीकर, राजस्थान- 332001
   द्वितीय पताः- प्लॉट नम्बर 57, खसरा नम्बर 1156, कुम्हारों का मोहल्ला, पिंक हाउस, वार्ड नं. 07, ग्रामीण, सीकर, राजस्थान- 332001

-अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 07 जुलाई, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री अनिल कुमार शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **विकास चौधरी पुत्र बुधराम चौधरी, बुधराम चौधरी पुत्र मूलचन्द चौधरी, मीनाक्षी देवी पुत्री लाल चन्द** एवं **राजीव चौधरी पुत्र बुधराम चौधरी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राथीगणों के स्वामित्व की अचल सम्पति **पट्टा नंबर 11107, प्लॉट नम्बर 57, खसरा नम्बर 1156 का भाग, कुम्हारों का मोहल्ला, पिंक हाउस, वार्ड नं. 07, ग्रामीण, सीकर, राजस्थान– 332001** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 201.91 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रास्ता 30 फीट चौड़ा, पश्चिम दिशा में लेआउट नं., उत्तर दिशा में लेआउट प्लॉट नं. 56 एवं दक्षिण दिशा में लेआउट प्लॉट नं. 58 स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹28,08,921/– (अक्षरे रूपये अठ्ठाईस लाख आठ हजार नौ सौ इक्कीस)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **29.04.2021** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर वकील श्री बाबू खान उपस्थित आये परन्तु बकाया ऋण भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **29.04.2021** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **विकास चौधरी पुत्र बुधराम चौधरी, बुधराम चौधरी पुत्र मूलचन्द चौधरी, मीनाक्षी देवी पुत्री लाल चन्द** एवं **राजीव चौधरी पुत्र बुधराम चौधरी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राथीगणों के स्वामित्व की अचल सम्पति **पट्टा नंबर 11107, प्लॉट नम्बर 57, खसरा नम्बर 1156 का भाग, कुम्हारों का मोहल्ला, पिंक हाउस, वार्ड नं. 07, ग्रामीण, सीकर, राजस्थान– 332001** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 201.91 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रास्ता 30 फीट चौड़ा, पश्चिम दिशा में लेआउट नं., उत्तर दिशा में लेआउट प्लॉट नं. 56 एवं दक्षिण दिशा में लेआउट प्लॉट नं. 58 स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **07 जुलाई, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर